

23-7-15

पत्रावली राजस्व लोक अदालत में
 आज प्रस्तुत हुयी। वादी के वकील
 उपस्थित। वादी के वकील ने
 वाद पत्र पर नोट प्रेष संकित
 किया। वादी के वकील वाद पत्र
 को चलाना नहीं चाहते हैं।
 अतः वाद वादी नोट प्रेष में
 स्वारिज रक्खि जाता है। पत्रावली
 फैलम सुधार होकर तबबर के रूप में
 तया दफतर दाखिल है।

र